

नागरिकता

→ कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एक ही नागरिकता है अर्थात् हम केवल देश के नागरिक हैं। राज्यों की नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है।

- भारत की नागरिक 1950 के अधिनियम पर आधारित है नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था।
- नागरिक होने के कारण PAN Card, Aadhar Card दिया जाता है।
 - गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।
 - नागरिकता की चर्चा भाग-2 में अनुच्छेद (5.11) तक है।

अनुच्छेद 5 → संविधान के ~~प्रारंभ~~ प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात् जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे।

अनुच्छेद 6 → पाकिस्तान से भारत में आये लोगों को नागरिकता किन्तु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी।

अनुच्छेद 7 → स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गये ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौटे आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी।

अनुच्छेद 8 → विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत कि नागरिकता समाप्त नही होगी।

अनुच्छेद 9 → विदेशी नागरिकता लेने पर भारत कि नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी।

अनुच्छेद 10 → भारतीयों कि नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विशेषी कार्य नही करते।

अनुच्छेद 11 - नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है यह निर्मेदारी गृहमंत्रालय को दी गई है।

नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ

भारत में नागरिकता प्राप्त करने की पाँच विधियाँ हैं।

- (i) **जन्म के आधार पर** - भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी, यदी उनके माता-पिता भारत के नागरिक हो गे। Ex- हम सभी।

(ii) विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जायेगी।
यदि उसके माता-पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। Ex- शिखर धवन

(iii) किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर → वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जायेगी। सिक्कीम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को दी गई नागरिकता।
कानूना देश के ~~सब~~ 24 परगना जिलों को नागरिकता।

(iv) पंजीकरण :- इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है।

(v) देशीकरण :- वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को ही जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है। वैज्ञानिक या कला में निपुण हो साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो।

* Overseas नागरिकता → इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिती द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना VISA के भारत आ सकता है।

Note → देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त कि जा सकती है।

* **VISA** → किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही VISA कहते हैं।
बिना VISA किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते।

* **PASSPORT** → अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है। जिसे
Passport कहते हैं।

विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 2015 ई. में 1.2 बिलियन लोग
विदेशों में रह रहे थे। यह संख्या 2030 तक 1.5 बिलियन तक बढ़ेगी।
इससे स्पष्ट है कि विश्व में विदेशों में रहने वाले लोगों की संख्या
बढ़ती जा रही है। इसलिए हमें अपने देश में रहने वाले लोगों को
विदेशों में जाने के लिए VISA और PASSPORT बनाने में मदद
देनी चाहिए।